

**Form 1**

Maintenance of records Form of Continous Khatian to be maintained by the Anchal Adhikari under Section 3(1)

(See Rule 4)

Continous Khatian

Anchal- चास Rev P.S- चास State of- झारखण्ड Police Station- चास R.T.No 0020 Khata Type ----

खाता नम्बर	रैयत का नाम, पिता का नाम एवम जाति	प्लॉट संख्या	चौहद्दी	ए	डे	हे	लगान	कैफियत / अभ्युक्ति	भाग वर्तमान/ पृष्ठ संख्या
202	अली हुसैन अंसारी , पिता-सुभानी मिया , जाति- गढ़मात	3449		0 ऐ	12 डि	0 हे	0.02	अ	1 / 163
202	जैतून बीबी , पिता-कुतुबुद्दीन अंसारी, जाति- गढ़मात	3449		0 ऐ	2 डि	0 हे	1	दा. खा० मु० 215 (1) 82-83 के क्रमांक 1 के अनुसार ज. न. 202 से घटकर	14 / 87
202	रसिक अंसारी , पिता-उमर अन्सरी, जाति- गढ़मात	3449		0 ऐ	0 डि	0 हे	2.5	दा. खा० मु० 215 (1) 82-83 के क्रमांक 2 के अनुसार ज. न. 202 से घटकर	14 / 88
202	सहिद अंसारी , पिता-उमर अंसारी, जाति- गढ़मात	3449		0 ऐ	0 डि	0 हे	2.5	दा. खा० मु० 215 (1) 82-83 के क्रमांक 3 के अनुसार ज. न. 202 से घटकर	14 / 89
202	सरोज देवी , पति-शिव कुमार, जाति- गढ़मात	3449		0 ऐ	6 डि	0 हे	2	अ० अ० अधिकारी चास के आदेशानुसार दा० खा० मु० संख्या 3955/1/2012-13 के आदेशानुसार थोका स० से धटाकर लाया गया है	19 / 135
202	श्रीमति रेखा देवी , पति-अनिल कुमार, जाति- गढ़मात	3449		0 ऐ	3 डि	0 हे	2	दा० खा० मु० संख्या 447/1/14-15 के आदेशानुसार थोका स० 805 से धटाकर लाया गया है डीड स० 6402/06-09-12	19 / 349
202	श्रीमति राज कुमारी देवी , पति-राम लखन प्रसाद, जाति- गढ़मात	3449		0 ऐ	3.25 डि	0 हे	4	दा० खा० मु० संख्या 448/1/14-15 के आदेशानुसार थोका स० 805 से	19 / 350

									धटाकर लाया गया है डीड स0 343/25-01-14	
202	शेख बाबु जान मियां , पिता-मृत लहन मियां , जाति- गढ़मात	3449		0 ऐ	8.3 डि	0 हे	20		दा खा मु स 5557 2017 18 के आदेशनुसार	25 / 208
202	शेख पियारी मिया , पिता-शेख बाबु जान मियां , जाति- गढ़मात	3449		0 ऐ	20 डि	0 हे	4		दा खा मु स 5558 2017 18 के आदेशनुसार	25 / 209
202	शेख बाबूजान मियां वो शेख अब्बास मियां , पिता-मृत सोहन मियां , जाति- गढ़मात	3449		0 ऐ	6 डि	0 हे	20		दा खा मु स 5559 2017 18 के आदेशनुसार	25 / 210
202	बाबूजान मियां वो छुटू मियां , पिता-सोहन मियां , जाति- गढ़मात	3449		0 ऐ	35 डि	0 हे	6		दा खा मु स 5561 2017 18 के आदेशनुसार	25 / 212
202	शेख छुटु मियां वो शेख बाबूजान मियां , पिता-मृत सोहन मियां , जाति- गढ़मात	3449		0 ऐ	21.03 डि	0 हे	20		दा खा मु स 5562 2017 18 के आदेशनुसार	25 / 213
202	पानबाबु अन्सारी , पिता-बाबुजान अन्सारी , जाति- मोमीन	3449		0 ऐ	2.5 डि	0 हे	5		नामान्तरण मुकदमा संख्या 4454/2021 - 2022	132 / 23
202	पानबाबु अन्सारी , पिता-बाबुजान अन्सारी , जाति- मोमीन	3449		0 ऐ	2.5 डि	0 हे	5		नामान्तरण मुकदमा संख्या 4454/2021 - 2022	132 / 23
202	सुन्दर लाल कोयरी , पिता-गोबर्धन कोयरी, जाति- ---- एवं महेश प्रसाद महतो , पिता-स्व करमु महतो , जाति- -- --	3449		0 ऐ	4 डि	0 हे	4		नामान्तरण मुकदमा संख्या 8155/2022 - 2023	136 / 79
202	आशा देवी , पति-महेश प्रसाद महतो , जाति- ... एवं शैलेन्द्र महतो , पिता-गौरचंद महतो , जाति- ...	3449		0 ऐ	8.5 डि	0 हे	8		नामान्तरण मुकदमा संख्या 782/2023 - 2024	139 / 80
202	एस आर भी कंस्ट्रक्शन पार्टनर श्री ओम प्रकाश सिंह , पिता-श्री इन्द्र सिंह , जाति- अज्ञात	3449		0 ऐ	4.9 डि	0 हे	10		नामान्तरण मुकदमा संख्या 5225/2023 - 2024	140 / 91
202	एस आर भी कंस्ट्रक्शन पार्टनर श्री ओम प्रकाश सिंह , पिता-श्री इन्द्र सिंह , जाति- अज्ञात	3449		0 ऐ	1.7 डि	0 हे	10		नामान्तरण मुकदमा संख्या 5225/2023 - 2024	140 / 91

202	ASHA SAHU , पिता-BALBHADRA SAHU, जाति- ... एवं JAI PRAKASH MAHTO , पिता-BIBHUTI MAHTO, जाति- ...	3449	0	ऐ	4.07 डि	0	हे	2	नामान्तरण मुकदमा संख्या 6879/2023 - 2024	141 / 65
202	ISHAHAQUE ANSARI , ASIRUDDIN ANSARI , HAFIJUDDIN ANSARI , SHAHABUDDIN ANSARI , NASIRUDDIN ANSARI , NIZAMUDDIN ANSARI , पिता-PANBABU ANSARI, जाति- ...	3449	0	ऐ	12 डि	0	हे	20	नामान्तरण मुकदमा संख्या 7209/2023 - 2024	141 / 70
202	ISHAHAQUE ANSARI , ASIRUDDIN ANSARI , HAFIJUDDIN ANSARI , SHAHABUDDIN ANSARI , NASIRUDDIN ANSARI , NIZAMUDDIN ANSARI , पिता-PANBABU ANSARI, जाति- ...	3449	0	ऐ	5 डि	0	हे	20	नामान्तरण मुकदमा संख्या 7209/2023 - 2024	141 / 70
202	ISHAHAQUE ANSARI , ASIRUDDIN ANSARI , HAFIJUDDIN ANSARI , SHAHABUDDIN ANSARI , NASIRUDDIN ANSARI , NIZAMUDDIN ANSARI , पिता-PANBABU ANSARI, जाति- ...	3449	0	ऐ	3 डि	0	हे	20	नामान्तरण मुकदमा संख्या 7209/2023 - 2024	141 / 70

यह एक कंप्यूटर जनित प्रति है

7/6/2024

यह प्रपत्र केवल प्रार्थी की जानकारी के लिए है

इसका उपयोग किसी भी न्यायालय में साक्ष्य के रूप में नहीं किया जा सकता है।

किसी भी प्रकार की अशुद्धियों के लिए सम्बन्धित अंचलाधिकारी से संपर्क करें।